

33347-24/99

क्रमांक - 333/अ.प. (म)/अ.  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग,  
अमरकंटक भवन, प्रेत काम्पेक्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2002

:: आदेश ::

अनुविभागीय अधिकारी, भारी संयंत्र विद्युत यांत्रिकी शेड क्रमांक-3  
ट्यूबवेल वर्कशाप के पीछे, भोपाल का भण्डार कक्ष जो वर्तमान में रिक्त है, उसे  
म०प्र० जल संसाधन विभाग, स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल को आवंटित किया जाता है।

— § राव बलराज सिंह §  
प्रमुख अभियन्ता.

पु०क्रमांक 33347-24/99 भोपाल, दिनांक 26 मार्च, 2002  
प्रतिलिपि:-

- 1/ मुख्य अभियन्ता, विद्युत यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 2/ मुख्य अभियन्ता, पंचस बेतवा कठार, भोपाल को सूचनाार्थ।
- 3/ प्रान्तीय अध्यक्ष म०प्र० जल संसाधन विभाग, स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल  
को उनके पत्र क्रमांक 45/प्रा.शहा./स्पोर्ट्स भोपाल दिनांक  
26-3-2002 के संदर्भ में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

§ राव बलराज सिंह §  
प्रमुख अभियन्ता.

कू 3334724/99

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
जल संसाधन विभाग, अमर कंटक भवन,  
भोपाल ।

भोपाल, दिनांक: 19/4/2002

प्रति,

मुख्य अभियन्ता,  
चम्बल बेतवा क्लब,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल ।

विषय:- ट्यूबवेल वर्कशाप के पीछे शोड कू. 2 भोपाल का रिक्त भण्डार कक्ष म०पू०  
जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब को आधिपत्य में देने बाबत ।

संदर्भ:- 1। इस कार्यालय का आदेश कू. 3334724/99 दिनांक 26-3-2002.  
2। आपका पत्र कू. 62/ए/इडब्ल्यू-22/नी/2002 दिनांक 5-4-2002.

===0===

संदर्भित आदेश पदारा म०पू० जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब को  
कथित रिक्त शोड का भण्डार कक्ष अज्ञात किया गया था । क्लब के पदाधिकारियों  
सूचित किया है, कि उन्हें अभी तक आधिपत्य नहीं दिया गया है । अतः एवं आप  
व्यक्तिगत रूप रुचि लेकर आवंटित रिक्त भण्डार कक्ष म०पू० जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स  
क्लब को तत्काल तापे, एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का  
कष्ट करें ।

प्रमुख अभियन्ता

जल संसाधन विभाग, भोपाल ।

भोपाल, दिनांक: 19/4/2002

पू०कू०

प्रतिलिपि:-

प्रान्तीय अध्यक्ष, म०पू० जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल को  
सूचनाथ ।

प्रमुख अभियन्ता

जल संसाधन विभाग, भोपाल ।

मध्य प्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय  
-0-

5

क्रमांक एफ 13/40/31/सा/99

भोपाल, दिनांक 5-10

प्रति,

99

2/10/99  
कोविन्द

प्रमुख अभियंता,  
जलसंसाधन विभाग,  
भोपाल म.प्र.

विषय:- मध्य प्रदेश तिवारि जलसंसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब के पदाधिकारी कर्मचारी खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देने के संबंध में ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3312241/97 दिनांक 26-3-99.

-0-

राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग कर्मचारी कल्याण संगठन के आदेश क्र 0 एफ 2-2/92/1-5 दिनांक 12-1-94 के परिपेक्ष्य में म.प्र. तिवारि जलसंसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब के तत्तुत श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी को क्लब की अन्तर क्षेत्रीय/अन्तर विभागीय खेल प्रतिपोगिताओं के आयोजन एवं भाग लेने पर तमान ल्य से अर्थात् मध्य प्रदेश तिविल सेवा के खिलाड़ियों की भांति यात्रा भत्ता रूपये 50/- पचास एवं रूपये 50/- पचास प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता तथा रूपये 30/- तीस प्रांतीयक व्यय के ल्य दिये जाने स्वीकृति प्रदान करता है ।

SEL (Adm)

6/10/99

3312

6/10  
राम

2: दैनिक भत्ता रूपये 50/- पचास उती स्थिति में देय होगा जबी आयोजन समिति द्वारा खिलाड़ियों को ठहराने एवं वाहन की व्यवस्था उंमल न कराई गई हो अन्यथा रूपये 40/- चालीस प्रतिदिन की दर से देय होगा खेलों से संबंधित अधिकारियों/खिलाड़ियों के यात्रा देयक क्लब के प्रांतीय अध्यक्ष/प्रांतीय महामंत्री/प्रांतीय कार्यालयीन तिविल के यात्रा देयक पर प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही भुगतान किया जा त्केगा ।

उपरोक्त यात्रा देयक का व्यय पदाधिकारी/खिलाड़ी के संबंधित कार्यालय के स्थापना मद के अधीन विकलनीय होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

आर 0 सी 0 गुप्ता  
अधर तिविल

मध्य प्रदेश शासन, जलसंसाधन विभाग

पृ० क्रमांक एफ 13/40/31/सा/99

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1/- तच्चिब, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग & कर्मचारी कल्याण संगठन & भोपाल ।
- 2/- सदस्य, अभिप्रायिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
- 3/- प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश सिंचाई & जलसंधारण & विभाग स्पर्धा क्लब, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत ।

हरत) /-

& आर०ती०गुप्ता &

अधर तच्चिब

मध्य प्रदेश शासन, जलसंधारण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग.

क्रमांक 28/1/31/सा/92  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर, 92

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल §प.प्र. §

विषय:- म.प्र. सिंचाई §जल संसाधन§ स्पोर्ट्स क्लब को मान्यता एवं सुविधाएं देने बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3334246, दिनांक 22.4.92

-x-

राज्य शासन, म.प्र. सिंचाई §जल संसाधन§ स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल जिल्लाका पंजीयन क्रमांक 20854 दिनांक 21.10.88 हे, को मान्यता प्रदान करता है । इसके साथ ही म.प्र. सिंचाई §जल संसाधन§ स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने एवं नियमों के अन्तर्गत खिलाड़ियों को अन्तर संभागीय, अन्तर क्षेत्रीय एवं अन्तर विभागीय स्पर्धाओं/प्रतियोगिताओं के लिये यात्रा भत्ता संभागीय क्लब, क्षेत्रीय क्लब एवं प्रांतीय क्लब के पदाधिकारियों के अनुसंधान पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार

§ आर.के.भट्ट §  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.

पृ.क्र. 28/1/31/सा/92

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर, 1992.

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन §आसकीय कर्मचारी कल्याण संगठन विभाग, भोपाल.
2. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश.
3. प्रांतीय अध्यक्ष, म.प्र. सिंचाई §जल संसाधन§ स्पोर्ट्स क्लब, भोपाल

की ओर सुपुनारूप अशेषित ।

सचिव, मध्यप्रदेश शासन

(Signature) 20/10/92

सचिव, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

भोपाल

§ आर.के.भट्ट §  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

रूप क्रमांक २  
(देखिये नियम ७)

मध्यप्रदेश शासन



# समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक २०८५५

यह प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग स्पोर्ट्स क्लब भोपाल

समिति जो प्रमुख अभियंता कार्यालय सिंचाई विभाग वसस्यप ७, तहसील हुजूर, 1464 शिवाजीनगर भोपाल

जिला भोपाल में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४)

के अधीन २१-१०-१९८८ को पंजीयित की गई है।

दिनांक ३०/१०/८८ माह अक्टूबर सन् १९८८

मुद्रा

समितियों के रजिस्ट्रार

21-10-88

क्रमांक 3312241 / 2004  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग,  
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर

-0-

भोपाल, दिनांक मार्च, 2011

प्रति,


समस्त मुख्य अभियन्ता  
जल संसाधन विभाग

विषय:- विभागीय खेल कूद प्रतियोगिता के आयोजन बाबत।

-0-

उपरोक्त विषय में विभाग में खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निम्नानुसार केलेन्डर वर्ष तैयार किया गया है, तदानुसार मुख्य अभियन्ता निर्धारित वर्ष में अपने कछाराधीन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे:-


स0क्र0	आगामी प्रस्तावित खेल प्रतियोगिता वर्ष	प्रतियोगिता क्रमांक	क्षेत्रन्तर्गत (जिला)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2011-2012	तेईसवीं प्रतियोगिता	इन्दौर
2	2012-2013	चौबीसवीं प्रतियोगिता	होशंगाबाद
3	2013-2014	पच्चीसवीं प्रतियोगिता	भोपाल
4	2014-2015	छब्बीस प्रतियोगिता	जबलपुर
5	2015-2016	सत्ताईस प्रतियोगिता	ग्वालियर
6	2016-2017	अठठाईस प्रतियोगिता	रीवा
7	2017-2018	उन्तीस प्रतियोगिता	इन्दौर
8	2018-2019	तीसवीं प्रतियोगिता	होशंगाबाद
9	2019-2020	इक्कीसवीं प्रतियोगिता	भोपाल
10	2020-2021	बत्तीसवीं प्रतियोगिता	जबलपुर
11	2021-2022	तैंतीसवीं प्रतियोगिता	ग्वालियर
12	2022-2023	चौतीसवीं प्रतियोगिता	रीवा

  
(राजीव कुमार सुकलीकर)  
मुख्य कार्मिक अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक 3312241 / 2004 / 519  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2011

श्री एम0 एम0 श्रीवास्तव प्रान्तीय अध्यक्ष कार्यालय शेड क्र0-3 (मुख्य अभियन्ता, चम्बल बेतवा कछार, परिसर) नूतन कालेज के सामने शिवाजी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

  
(राजीव कुमार सुकलीकर)  
मुख्य कार्मिक अधिकारी



क्रमांक-2/10/10/200/30/7-2001/259

प्रतिवेदन:-

1. वन विभाग द्वारा पहाड़ी विकास प्राधिकरण भोपाल को सORO अर्जन, वन विभाग विकास भोपाल के पत्र क्रमांक स्क्र-13/40/31/5A/93/दि. 05.10.00 को प्रत्येक प्रति (किसी के/किसी काल के अधिनियम प्री सुधार सुधार के अन्तर्गत) या विद्यमान प्रकल्प करने का कष्ट है।

2. प्रान्तीय न्यायिकीय समिति, सORO 0 (सि.सी. प्रशासन) विभाग लपोर्ट सORO, भोपाल को ओर लंक एन 2001-7-290 के तर्ज में लूचनाई अर्जित।

सहायक- 02

M. S. Sinha

सहायक प्रशासन

सि.सी. प्रशासन विभाग भोपाल

संख्या 00140791